कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 183 / कले / रीडर / 2020 / कांकेर, दिनांक 26 मार्च, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये कार्यालयीन आदेश कमांक / 166 / कले. / रीडर / 2020 कांकेर दिनांक 19.03. 2020 के द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) लागू किया गया है एवं सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। जिसके कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ मैं के.एल.चौहान, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर यह आदेश पारित करता हूं कि जिले के **प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 क्विंटल चावल एवं 25–50 किलो दाल** (आवश्यकतानुसार) की व्यवस्था ग्राम पंचायत तत्काल करना सुनिश्चित करें एवं सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थो की आवश्यकता पड़े तो मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का समाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरत मंद परिवारों के लिए राशन आदि (चावल, दाल, सब्जी) की व्यवस्था की जावें। अति आवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को निःशुल्क राशन (चावल, दाल, सब्जी) उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(के. एल. चौहान) 26/3/2020
कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / कले / रीडर / 2020 / 183-A कांकेर, दिनांक 26 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
5. पुलिस उप महानिरीक्षक, कांकेर रेंज कांकेर ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर ।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आवश्यक कार्यवाही एवं आदेश प्रसारित करने हेतु ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ ।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ।
11. जिला सूचना अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ शासन के वेब पेज में अपलोड किये जाने बाबत् ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका / नगर पंचायत अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं स्थानीय निकायों में मुनादी हेतु ।

26/3/2020

कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर